न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R 2963-II/15

Rs. 20/-

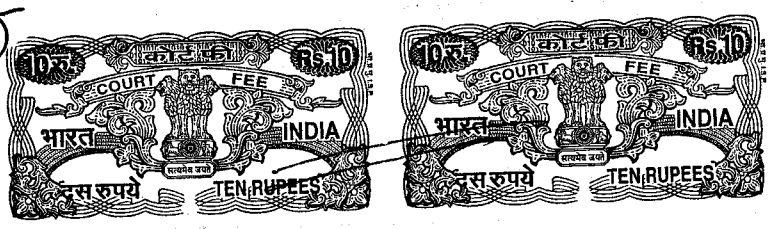

1. मुस. सोनऊ देवी पत्नीं रघुनाथ जायसवाल
2. राजकरण पिता रधुनाथ जायसवाल
3. रामखेलावन पिता रघुनाथ जायसवाल

   तीनों निवासी ग्राम पटेहरा खुर्द, तहसील गोपद बनास, जिला–सीधी म.प्र.
4. सोनवती पुत्री रघुनाथ जायसवाल, पत्नीं मुन्ना जायसवाल निवासी ग्राम शिवपुरा,, तह0 गो0ब0 जिला–सीधी म.प्र.
5. रम्मू देवी पुत्री रघुनाथ जायसवाल, पत्नीं राजकरण जायसवाल निवासी ग्राम पड़खुरी, तह0 गो0ब0 जिला सीधी म.प्र.
6. निर्मला देवी पुत्री रघुनाथ जायसवाल, पत्नी यादवेन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम कोठार, तह0 गो0ब0 जिला–सीधी म.प्र.
7. रामचरण जायसवाल पिता समई जायसवाल
8. बाबूलाल पिता समई जायसवाल

   दोनों निवासी ग्राम पटेहरा खुर्द, तहसील गोपद बनास, जिला–सीधी म.प्र.

....निगरानींकर्तागण

बनाम

1. हिन्छलाल जायसवाल पिता छोटकऊ जायसवाल, पेशा नौंकरी (वन विभाग)
2. आनन्द कुमार जायसवाल पिता छोटकऊ जायसवाल, पेशा नौंकरी, (जे. पी. प्लांट निगरी, तह0 सिंगरौली म.प्र.)
3. सुखलाल जायसवाल पिता छोटकऊ जायसवाल, पेशा मिस्त्री
4. श्रीमती मनिगिरिया पत्नीं सम्भू जायसवाल पेशा नौंकरी
5. भैयालाल कोल (मृतक) पिता खेलाड़ी कोल

   अ. बड़कू कोल पिता भैया लाल कोल

   ब. छोटकू पिता भैयालाल कोल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक नि. 2963-II/15 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.10.15	(1) प्रकरण में निगरानीकार के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गए, एवं नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रमाणित छायाप्रतियों का परिशीलन किया गया। (2) इनके आधार पर मेरे द्वारा यह पाया जाता है कि नायब तहसीलदार के दि 20.12.93 के आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी 12 वर्ष से अधिक के बाद दि. 1.8.06 को प्रस्तुत हुई। दि. 17.8.06 को एक बार अदम पैरवी में खारिज होने के बावजूद, दि. 14.3.8 को एक अन्य प्र.क्र. 26/अ-74/07-08 में पारित आदेश का हवाला लेते हुए, पुनः सुनवाई के लिए प्रकरण लिया गया, तथा दि. 14.8.08 को निगरानी को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया। अपर कलेक्टर के प्रकरण की आदेश पत्रिका दि. 19.12.12 पर एक पक्षकार बनाए जाने के आवेदन के संबंध में लिखा है। इस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं अभिलिखित किए बगैर, दि. 11.9.14 को तर्क सुनकर, दि. 25.9.14 को प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया, फिर इसके	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	लगभग 11 माह बाद दि. 14.8.15 को प्रकरण में अपर कलेक्टर सीधी द्वारा आदेश पारित किया गया। (3) प्रकरण में, अपर कले. के प्रकरण की आदेश पत्रिका एवं उनके आदेश दि. 14.3.08 एवं 14.8.15 के अवलोकन से मैं यह पाता हूँ कि उनके द्वारा वर्ष 1993 से 2006 के मध्य हुए विलम्ब के संबंध में स्पष्ट बोलता हुआ निर्णय नहीं अभिलिखित किया गया है; उन्होंने आदेश में हिन्दलाल कोटवार (उनके समक्ष निगरानीकर्ता) द्वारा बताए गए विलम्ब के कारणों का उल्लेख तो किया है, किन्तु स्वयं का निर्णय (विलम्ब के बिन्दु पर अपना बोलता हुआ निर्णय) अभिलिखित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, 17.8.06 को एक बार प्रकरण खारिज करने के बाद, 14.3.08 को दोबारा सुनवाई में लेते समय, अपर कले. ने केवल एक अन्य प्रकरण का हवाला (संदर्भ) अपनी आदेश पत्रिका पर लिखा है, खारिज करने के बाद दोबारा सुनवाई में लेने के किन्हीं भी आधारों का खुलासा अपने किसी भी आदेश या अनुवृत्ति पत्रिका पर नहीं किया। इसी प्रकार दि. 19.12.12 की अनुवृत्ति पत्रिका में लिखे पक्षकार बनाने के आवेदन पर उन्होंने क्या किया है, यह भी कहीं नहीं लिखा।	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 2963-II/15 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	(4) उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में, तथा मेरे समक्ष के निगरानीकार द्वारा स्थगन हेतु धारा 52 के आवेदन के तारतम्य में, मैं अपर कले. सीधी द्वारा आवे. प्र.क्र. 81/नि/07-08 में पारित आदेश दि. 14.8.2015 तीन माह तक के लिये स्थगित करते हुए, राजस्व मण्डल का यह प्रकरण क्र. 2963/II/2015, अपर कले. सीधी को निम्न निर्देश देते हुए, समाप्त करता हूं :—	
	(क) अपर कले. सीधी अपना प्र.क्र. 81/निग./07-08 पुनः खोलें, तथा उसमें इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा (3) में लिखे बिन्दुओं के संबंध में पहले अपने बोलते हुए निर्णय अभिलिखित करें, तथा उसके बाद एवं उसके प्रकाश में, यदि आवश्यक हो, तो प्रकरण के गुण दोष पर अपना निर्णय पुनः बोलते हुए आदेश के माध्यम से अभिलिखित करें।	
	(ख) इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा (3) के बिन्दुओं पर, अपर कलेक्टर इस आदेश की उनको सूचना के अधिकतम एक माह के भीतर अपने बोलते हुए निर्णय अभिलिखित कर	

[कृ. प. उ.

R- 2963-III/15 सीकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पारित करें।	
	(ग) इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा(3) में लिखे बिन्दुओं को शामिलित करते हुए अपर कलेक्टर अपने समक्ष के प्रकरण में नए सिरे से अपना अन्तिम आदेश इस आदेश की इनको संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर पारित करें, जिसके पारित होते ही इनका (अपर कले. का) आदेश दि. 14.8.15 स्वमेव अधिक्रमित हो जाएगा।	
	रा. मं. का प्रकरण इसके साथ समाप्त किया जाता है। दा. द. हो। पक्षकार सूचित हों।	
	23.10.15 सदस्य आशीष श्रीवास्तव	